केन्द्रीय तसर अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, राँची

राजभाषा नीति के प्रमुख प्रावधान ।

राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा-3(3) के अनुसार

निम्नलिखित कागजात अनिवार्य रूप से द्विभाषी अर्थात् हिन्दी-अंग्रेजी में जारी किए जाएं -

(1) संकल्प (2) सामान्य आदेश (3) नियम (4) प्रेस विज्ञप्ति/विज्ञापन (5) सूचना (6) अधिसूचना (7) संविदा (8) करार (9) अनुज्ञप्तियां (लाइसेंस) (10) अनुज्ञा-पत्र (परमिट) (11) निविदा (12) प्रशासनिक तथा अन्य रिपोर्ट (13) संसद के समक्ष रखे जाने वाले प्रशासनिक तथा अन्य प्रतिवेदन ।

राजभाषा नियम-1976 का नियम-5 के अनुसार

हिन्दी में प्राप्त सभी पत्रों के उत्तर अनिवार्य रूप से हिन्दी में दिए जाएं ।

राजभाषा नियम-11 के अनुसार

निम्नलिखित को अनिवार्य रूप से द्विभाषी (हिन्दी-अंग्रेजी) में तैयार करवाया जाए -

(1) नेम प्लेट (2) रबर की मोहर एवं सील (3) फाइल एवं रजिस्टर (4) फार्म प्रपत्र/मानक मसौदे (5) बैनर पोस्टर (6) चार्ट एवं ग्राफ (7) मैप एवं बैज (8) वाहनों पर कार्यालय का नाम (9) साइनबोर्ड (त्रिभाषी)।

हिन्दी पत्राचार का वार्षिक लक्ष्य (वर्ष 2015-16)

क क्षेत्र	ख क्षेत्र	ग क्षेत्र
1) 'क' क्षेत्र से 'क' व 'ख' क्षेत्र के साथ-100% 2) 'क' क्षेत्र से 'ख' क्षेत्र के साथ-100% 3) 'क' क्षेत्र से 'ग' क्षेत्र के साथ - 65%	1) 'ख' क्षेत्र से 'क' क्षेत्र के साथ 100% 2) 'ख' क्षेत्र से 'ख' क्षेत्र के साथ 90% 3) 'ख' क्षेत्र से 'ग' क्षेत्र के साथ - 55% 4) 'ख' क्षेत्र से 'क' व 'ख' क्षेत्र के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के कार्यालय/व्यक्ति के साथ - 100%	1) 'ग' क्षेत्र से 'क' क्षेत्र को - 55% 2) 'ग' क्षेत्र से 'ख' क्षेत्र के साथ 55% 3) 'ग' क्षेत्र से 'क' व 'ख' क्षेत्र के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के कार्यालय/व्यक्ति के साथ 55%

राजभाषा कार्यान्वयन में सुविधा की दृष्टि से पूरे देश को तीन क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है –

क क्षेत्र :-

उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, बिहार, झारखण्ड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह और दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र ।

ख क्षेत्र :-

महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र, दमन एवं दीव तथा दादर व नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र ।

ग क्षेत्र :-

आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, नागालैण्ड, उड़ीसा, सिक्किम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, लक्षद्वीप, मिजोरम, पुडुचेरी, गोवा, जम्मू व कश्मीर ।

वेबसाइट पर अपलोड करें